

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 23/08/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 22.08.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना रेवतीपुर पुलिस टीम द्वारा 01 अदद पिस्टल .32 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.08.2025 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त आनन्द मोहन सिंह पुत्र स्व0 दिनेश कुमार सिंह निवासी नवापुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 37 वर्ष को मुखबिर खास कि सूचना पर रामबृक्ष का पुरा वहद ग्राम रेवतीपुर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

आनन्द मोहन सिंह पुत्र स्व0 दिनेश कुमार सिंह निवासी नवापुरा हेड पोस्ट ऑफिस के पास थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 37 वर्ष ।

बरामदगी:-

01- 01 अदद पिस्टल .32 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

02- 01 अदद ब्रेजा कार (UP61AU4622)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 104/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर ।
2. मु0अ0सं0 26/2019 धारा 272, 273 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधि0 थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर ।
3. मु0अ0सं0 624/2022 धारा 323, 325, 504 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।

02- थाना – दिलदारनगर पुलिस द्वारा 25 पाउच अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.08.2025 को हे0का0 सुजीत कुमार सिंह मय हमराह के मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रामलाल गुप्ता पुत्र स्व0 राधेश्याम गुप्ता निवासी नटपुरवा निरहू का पुरा थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र लगभग 55 वर्ष के कब्जे से 25 पाउच अवैध देशी शराब बरामद होने के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रामलाल गुप्ता पुत्र स्व0 राधेश्याम गुप्ता निवासी नटपुरवा निरहू का पुरा थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र लगभग 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 157/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

बरामदगी:

25 पाउच देशी शराब

03- थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 203/25 धारा 191(2),191(3),109,333,61(2),105

बीएनएस मे वांछित 02 नफर अभियुक्ता व 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.08.2025 को थानाध्यक्ष दुल्लहपुर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 203/25 धारा

191(2),191(3),109,333,61(2),105 बीएनएस मे वांछित चल रहे 01 बाल अपचारी तथा 02 अभियुक्ताओं 1.मन्ती देवी पत्नी मन्नू यादव उर्फ मकुन्ना उम्र करीब 50 वर्ष 2.सुनीता यादव पत्नी सुदर्शन यादव उम्र 35 वर्ष नि0गण ग्राम सुल्लतानपुर थाना दुल्लहपुर गाजीपुर को ओड़राई नहर पुलिया दुल्लहपुर गाजीपुर मेन रोज बहद ग्राम ओड़राई के नहर पटरी से अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. मन्ती देवी पत्नी मन्नू यादव उर्फ मकुन्ना उम्र करीब 50 वर्ष

2. सुनीता यादव पत्नी सुदर्शन यादव उम्र 35 वर्ष

3. 01 नफर बाल अपचारी

समस्त नि0गण थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

4. थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 258/2025 धारा 137(2),87 बीएनएस से सम्बंधित 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0पुष्पेश चन्द्र दुबे मय टीम के द्वारा दिनांक 22.08.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 258/2025 धारा 137(2),87B.N.S से सम्बंधित एक नफर अपचारी निवासी ग्राम सिउरा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 16 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर बहादुरगंज बस स्टैण्ड से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अपराधिक इतिहास –

5.

“ऑपरेशन कन्विक्शन”

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।”

दिनांक 22.08.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2045/10 धारा – 60(1) ए उ0 प्र0 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते कुल 10 अभियुक्त ((जिसमें 01 नफर अभियुक्त मृतक दौरान विचारण) व अभियुक्तगण 1.सोनू यादव पुत्र सुभाष यादव ग्राम जैतपुरा थाना कोतवाली 2.पपली सिंह उर्फ सोनम सिंह पुत्र गोपीनाथ सिंह ग्राम बयेपुर थाना कोतवाली 3.ओमप्रकाश कुशवाहा पुत्र सुग्रीव कुशवाहा निवासी जंजीरपुर थाना कोतवाल 4.रामअशीष यादव पुत्र केदार यादव निवासी हरिहरपुर थाना कोतवाली 5.ऋषि यादव पुत्र रामसूरत यादव निवासी बड़सरा थाना करणड़ा 6.रामअशीष यादव पुत्र शारदा यादव निवासी जंजीरपुर अहिरपुरवा थाना कोतवाली 7.संदीप मिश्रा पुत्र तारकेश्वर मिश्रा निवासी बयेपुर थाना कोतवाली 8.बबलू सिंह उर्फ राजीव पुत्र वंशबहादुर सिंह निवासी मदनहीं थाना नन्दगंज 9.सीताराम पुत्र ब्रह्मदेव यादव निवासी बयेपुर देवकली थाना कोतवाली (प्रत्येक को) धारा 60(1)ए उ0प्र0 आबकारी अधिनियम में 15 दिवस के कारावास व 1,000-1,000/-रु0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर